

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

जीसीएमएस संख्या	2024/218	बनाम	पना
		किस्म	मुकदमा

दिनांक हुकम

हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी
हुए/पावती

20/6/24

पत्रावली पेश हो
आज हम दोनों पक्षों के बीच
में तब
26/9/24 को पेश हो।

1072
11.06.24

26/9/24

पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थना और
वकील प्रार्थना द्वारा अप्रार्थना के समक्ष
उक्त पक्ष नेगकर कोर्ट में एक रिपोर्ट
पेश की गई जो आधिकारिक तौर पर कर्मा
एवं अनुपस्थित अप्रार्थना के विरुद्ध
पक्षों के बीच की गयी है वकील
प्रार्थना से पत्रावली पर बहस हुई गई
वकील प्रार्थना का निवेदन है कि विवाह
काराजी पैतृक काराजी है जिसे काराजी का
हक निरस्त होने के कारण मूल कांड के
विस्तार तक विवाह काराजी के रिपोर्ट
की प्रभावित बनाए रखने हेतु जारी कर्मा
निषेधाज्ञा को पुष्ट किया जाये हमने
पत्रावली का अवलोकन किया विवाह
काराजी पैतृक काराजी होने के कारण
रिपोर्ट की प्रभावित ~~करके~~ मूल कांड के
निस्तारण तक बनाए रखना उचित नहीं
होता है अतः हाजिर-मालूम इत जारी
कर्मा निषेधाज्ञा दिनांक 11.06.2024
मूल कांड के निस्तारण तक पुष्ट किया
जाता है पत्रावली केसक सुमाए होकर
मूल कांड के अन्तर्गत रहे

Adm. B. Chaudhary